IV-45

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789431

दस्तावेज (ट्रस्ट/न्यास)

(1) मै संजय सिंह पुत्र स्व0 महिपत सिंह पता- ग्राम-अदनपुर पोस्ट-जमालापुर तहसील मड़ियाहूँ, जनपद-जौनपुर (उ0प्र0) का निवासी हूँ। मै पंजाबी देवी ट्रस्ट पता- ग्राम-अदनपुर पोस्ट-जमालापुर तहसील, मड़ियाहूँ, जनपद-जौनपुर (उ0प्र0) के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789432

(2)

(2) ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता:
पंजाबी देवी ट्रस्ट, इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधि मान्य है। उपरोक्त ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

(3) ट्रस्ट (न्यास) का नाम :
पंजाबी देवी ट्रस्ट

(4) ट्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता:
ग्राम-अदनपुर पोस्ट-जमालापुर तहसील मड़ियाहूँ, जनपद-जौनपुर (उ0प्र0)

(5) ट्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र:
सम्पूर्ण भारत।

उप निबंधक (मड़ियाहूं)
जौनपुर
19/9/2016

अजय कुमार
उप निबंधक (मड़ियाहूं)
जौनपुर
19/9/2016

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789433

(3)

(६) ट्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता) :
संजय सिंह पुत्र स्व० मातिवर सिंह पता– ग्राम–अढ़नपुर पोस्ट–जमालापुर तहसील मड़ियाहूं, जनपद–जौनपुर (उ०प्र०)

(७) न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम : श्रीमती सरिता सिंह, श्री आदर्श सिंह।

(८) न्यासधारी (ट्रस्टी) :
संजय सिंह, पता– ग्राम–अढ़नपुर पोस्ट–जमालापुर तहसील मड़ियाहूं, जनपद–जौनपुर (उ०प्र०)

(९) उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति को ट्रस्टी बनाये गये

क्र० सं०	नाम ट्रस्टी	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री संजय सिंह	स्व० मातिवर सिंह	मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक	व्यापार	ग्राम–अढ़नपुर पोस्ट–जमालापुर तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।
2.	श्रीमती सरिता सिंह	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष	गृहिणी	ग्राम–अढ़नपुर पोस्ट–जमालापुर तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।
3.	श्री आदर्श सिंह	श्री संजय सिंह	कोषाध्यक्ष	अध्ययनरत	ग्राम–अढ़नपुर पोस्ट–जमालापुर तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

Registration No. 43

0101 संजय सिंह ट्रस्टी फतमी देवी ट्रस्ट

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 789434

(4)

(10) ट्रस्ट का स्वरूप:

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में "सर्व सुखाय, सर्व हिताय" का कार्य करेगा।

(11) लाभग्राही:

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगी और सभी को समान लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणी व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

(12) हितग्राही व्यक्ति :

ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्य :

इस ट्रस्ट/न्यास के लक्ष्य/उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

1. बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए एल.के.जी. स्तर से 8वीं कक्षा, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, बी.टेक, एम.टेक, बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.सी.ए., एम.बी.ए. स्तर तक रोजगार परक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   CZ 789435

(5)

2. दिल्ली बोर्ड (सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. पैटर्न, यू.पी. बोर्ड हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम, तथा संस्कृत शिक्षा परिषद की नवीन शिक्षा प्रणाली एवं उर्दू शिक्षा के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विद्यालयों का संचालन करना।
3. सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।
4. सामूहिक विवाह, अन्तंजातीय विवाह, विधवा विवाह पद्धति एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संस्थाओं का निर्माण एवं कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
5. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षों का संरक्षण करना।
6. विकलांग, मूक–बधिर, नेत्रहीन एवं गरीब बालक–बालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
8. ज्ञान–विज्ञान, वायुयान, जलयान (नेवी) तथा थल पर संचालित सभी यानों/वाहनों के यांत्रिक, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
9. समस्त लघु उद्योगों, फैक्ट्रियों की स्थापना एवं संचालन करना एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कालोनियों एवं आवासों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर सुरक्षा पद्धति की नवीन तकनीक की भी जानकारी देना।
10. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा निःशुल्क कोचिंग का संचालन करना।
11. गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढाई–बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्टहैण्ड, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　CZ 789436

(6)

12. जनसंख्या नियंत्रण व नशा उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन करना।
13. बंजर भूमि ऊसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
14. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।
15. ग्रामीण बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईंट भट्ठा, टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट, ईंट, लौह उद्योग, शीतगृह, दाल-मिल, चावल-मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग, प्रिंटिंग वर्क, कापी उद्योग, संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
16. क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ के अस्पतालों का निर्माण करना एवं योग शिक्षा केन्द्र की स्थापना, सुयोग्य चिकित्सकों के सहयोग से गंभीर प्राणलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना एवं एड्स के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके एड्स को रोकने के सम्बन्ध में गोष्ठियां आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।
18. समय-समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।
19. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
20. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, बच्चों को पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस-बी, के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।
22. पर्यटन, देशाटन व भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　CZ 789437

(7)

23. समाज में फैली कुरीतियों जैसे- तलाक, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना।
24. ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक्स आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।
25. लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल, बागवानी एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।
26. गरीब बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय, विद्यालय का निःशुल्क संचालन करना।
27. असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निःशुल्क संचालन करना।
28. जनहित में आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु उच्चकोटि के होटलों एवं रेस्टोरेन्टो का निर्माण करना एवं उसे सुसंचालित करना।
29. रोजगारपरक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन, जन शिक्षण संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।
30. कृषि विविधीकरण आधुनिक कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।
31. कैमिकल उद्योगों की स्थापना एवं प्रशिक्षण हेतु बी.एल.एड., बी.टी.सी., बी.एड, एन.टी.टी. एवं लॉ कालेज की स्थापना एवं संचालन करना। रोजगारपरक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान कर समाज का शैक्षिक उन्नयन करना।
32. इस ट्रस्ट के द्वारा पंजाबी देवी सेवा समिति ग्राम-अब्दुलपुर पोस्ट-जमालापुर तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर प्रमाण पत्र सं0 167/2008-09 दिनांक 09-05-2008 नवीनीकरण सं0 341/2013-14 फाइल सं0 बी-36371 दिनांक 06.06.2013 को समान उद्देश्य होने के कारण तथा सोसाइटी के साधारण सभा एवं प्रबन्धसमिति की संयुक्त बैठक के निर्णयानुसार इस सोसाइटी के सभी कार्यों की देख रेख पंजाबी देवी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। सोसाइटी को इस ट्रस्ट में पूर्णतः विलय किया जाता है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789438

(8)

(14) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति–

यह कि हम मुतिन न्यास मजकूर के मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रबन्धक भी कहे जायेंगे।

(15) प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद–

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी प्रबन्धक होंगे। मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक संजय सिंह पुत्र स्व0 मातिवर सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

(16) ट्रस्ट की सदस्यता ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

1. **संस्थापक ट्रस्टी**– इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी संजय सिंह हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्त नवीन ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी प्रबन्धक अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में कार्यकारी ट्रस्टी/उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं।
2. **मुख्य ट्रस्टी**– संजय सिंह मुख्य ट्रस्टी होंगे।
3. **सहयोगी ट्रस्टी**– जो व्यक्ति ट्रस्ट को दो हजार एक सौ रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी होगा।
4. **ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति**– पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय में मोरल अपरिट्यूट के अन्तर्गत सजा पाने या त्याग–पत्र देने पर, वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर या ट्रस्ट के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने एवं शारीरिक रूप से क्षीण होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789439

(9)

(17) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना–रेहन रखना, ऋण लेना, ऋण की अदायगी सुनिश्चित करना, अनुदान लेना आदि।
3. किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी स्थान अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उप समितियों का मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
5. ट्रस्ट के व ट्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक–पृथक खातों को समयानुसार मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक में खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तित करना।
6. ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद विवाद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
7. वार्षिक आय–व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
8. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय को मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा अन्तिम निर्णय देना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789440

(10)

9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक की सहमति से लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे तथा जो ट्रस्ट के हित में होगा।

(18) ट्रस्ट की संयुक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:

आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी को किसी भी प्रकरण पर तुरन्त निर्णय लेने का अधिकार होगा तत्पश्चात् ट्रस्ट की संयुक्त समिति की बैठक आहूत किया जायेगा और उसमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी और उन्हें क्रियान्वित करेगी। संयुक्त समिति एवं प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का जब तक मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वह कार्यरूप में परिणित नहीं होगा।

(19) संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

किसी भी ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानुगत क्रम में ही भरी जायेगी।

(20) विवादित स्थिति पर निर्णय:

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789425

(11)

(21) ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेख:

एजेन्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, वाउचर फाईल, सदस्यता फाईल, रसीद बही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

(22) अनुशासनात्मक कार्यवाही:

ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता तो वह संयुक्त समिति में इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है उस परिस्थिति में प्रभावित-व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन मुख्य ट्रस्टी के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और मुख्य ट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करे संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुख्य ट्रस्टी की सहमति की दशा में अन्तिम होगा।

(23) वाद तथा प्रतिवाद:

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद-जौनपुर उ०प्र० रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

(24) परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता:

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम/मोहल्ला स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिले, तहसील, नगर, ब्लाक व ग्रामों में चलायी जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789427

(12)

(25) ट्रस्ट कोष का रख रखाव:
ट्रस्ट के खाते का संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर संचालन मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(26) पदों का सृजन:
ट्रस्ट आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक की सहमति से विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

(27) ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियाँ:
ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति का अधिकार मुख्य ट्रस्टी संजय सिंह का होगा तथा मरणोपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक सभी प्रमुख संस्थापक ट्रस्टी होंगे अथवा उनके वंशानुगत क्रम के वंशज होंगे जिसका संचालन सहमति से किया जायेगा।
पंजाबी देवी ट्रस्ट की स्थापना हेतु ग्यारह हजार रुपया नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा। अतः यह ट्रस्टनामा विलेख आज दिनांक 19-3-2016 को मेरे द्वारा जनिकथित लिखित एवं सत्यापित किया जा रहा है।

मसविदाकर्ता सुरेन्द्र नाथ पा०23/2002 तहसील मड़ियाहूँ, जनपद जौनपुर।

हस्ताक्षर न्यासकर्ता
संजय सिंह
पुत्र स्व० मतिहर सिंह
पता-ग्राम-अहनपुर पो० जमालापुर
तहसील-मड़ियाहूँ, जनपद-जौनपुर
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 789426

1. गवाह प्रथम

राजबहादुर सिंह पुत्र राजनाथ सिंह
ग्रा० पट्टी नरवपुर

2. गवाह द्वितीय

प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र - मुनिराज मौर्य
ग्रा- अहमदपुर
पो० जमालापुर
जौनपुर